

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस-नोट

क्रमांक : एफ.6()विधि/परीक्षा 'ग' /व0अ0 (माशि)/काउंसलिंग/2022/

दिनांक : 01-09-2023

आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक-माध्यमिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा-2022 विषय-सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूची दिनांक 31.08.2023 को जारी कर दी गई है। विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, अजमेर कार्यालय परिसर में दिनांक 04.09.2023 से 14.09.2023 तक प्रतिदिन प्रातः एवं सांय सत्र में आयोजित की जावेगी। पात्रता जांच उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा अन्तिम परिणाम जारी किया जावेगा। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट <http://rpsc.rajasthan.gov.in> पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से पूर्व आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः काउंसलिंग हेतु उपस्थित हों।

काउंसलिंग का कार्यक्रम विषयवार/दिनांकवार निम्नानुसार है:-

क्र. स.	पद का विषय	Shift	परिणाम (विचारित-सूची) में सफल अभ्यर्थियों के रोल नम्बर		काउंसलिंग की दिनांक	अभ्यर्थियों की संख्या	कुल अभ्यर्थियों की संख्या
1	सामाजिक विज्ञान	M	1000059	1031749	04.09.2023	225	379 (TSP) 2914 (NTSP)
		E	1032561	1065095		225	
		M	1065170	1101054	05.09.2023	225	
		E	1101084	1127692		225	
		M	1127943	1159637	06.09.2023	225	
		E	1159799	1189472		225	
		M	1189664	1222668	08.09.2023	225	
		E	1222913	1256169		225	
		M	1256170	1285724	11.09.2023	225	
		E	1286191	1318586		225	
		M	1318647	1334073	12.09.2023	225	
		E	1334104	1362174		225	
		M	1362178	1396189	13.09.2023	225	
		E	1397030	1432322		225	
M	1432373	1457382	14.09.2023	143	कुल 3293		

आयोग द्वारा आयोजित उक्त काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग-पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा-निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हों। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(रामनिवास मेहता)
सचिव